प्रेस विज्ञप्ति

यातायात शाखा आयुक्तालय जोधपुर द्वारा नाबालिग किशोरों द्वारा वाहन चलाने के सम्बन्ध में

दिनांकः–20.08.2025

श्रीमान ओमप्रकाश पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार श्री शहिन सी पुलिस उपायुक्त यातायात एवं मुख्यालय, जोधपुर एवं श्री दुर्गाराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, जोधपुर के सुपरविजन में यातायात पुलिस जोधपुर द्वारा रामदेवरा मेला को देखते हुए एवं बढती हुई सड़क दुर्धटनाओं में कमी लाने के लिए दिनांक 16.08.2025 से 31.08.2025 एक विशेष अभियान तेजगति, बिना हेलमेट वाहन, दुपहिया वाहन पर तीन सवारी, बिना नम्बर प्लेट, बिना कागजात वाहन चलाना नाबालिग किशोरो द्वारा दुपहिया/चारपहिया वाहन चलाने के संबध में चलाया जा रहा है। जिसके तहत अब तक में 2830 चालान कार्यवाही की जा चुकी है। यदि नाबलिग/किशोरों द्वारा दुपहिया/चार पहिया वाहन चलाता पाया जाता है तो उक्त किशोरों के माता–पिता एवं वाहन मालिकों भी इनके जिम्मेवार होगें। नाबालिग किशोरो द्वारा दुपहिया/चारपहिया वाहन **चलाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199–ए के अपराध की श्रेणी में आता है।** इसके तहत **नाबालिग किशोरो के वाहन चलाते पाये जाने पर किशोरों के माता–पिता एवं वाहन स्वामी की जिम्मेवारी तय की जाकर माननीय न्यायालय में उनके विरुद्ध नियमानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त अपराध के लिए 03 साल तक का कारावास एवं जुर्माना की सजा का होना प्रावधान है तथा नाबलिग किशोरों वाहन चलाते समय पकडे जाने पर 25 वर्ष की आयु तक लाईसेंस नही मिलेगा।** इस विशेष अभियान के दौरान यातायात पुलिस आयुक्तालय द्वारा **आज दिनांक तक** नाबालिग किशोरों के विरूद्ध 180 चालान कार्यवाही कर वाहन जब्त किये गये। जब्तशुदा वाहनों की आरसी निरस्त करने के लिए रिपोर्ट जिला परिवहन अधिकारी जोधपुर को भिजवाई गई हैं। शहर के नो–एन्ट्री में प्रवेश करने वाले भारी वाहन के खिलाफ दो दिवस में **18** चालान कार्यवाही कर वाहन को जब्त किये गये।

रामदेवरा मेला को मध्यनजर महिला जातरूओं की विशेष सुरक्षा व्यवस्था हेतु यातायात पुलिस के साथ बाबा रामदेव मन्दिर मसूरिया के आस–पास स्थित चौराहों पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को तैनात किया गया हैं। जिसका प्रभारी उप निरीक्षक पुलिस को नियुक्त किया गया हैं। इनके द्वारा महिलाओं के साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम करना हैं। रामदेवरा मेला के जातरूओं को महिला अपराध से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत करनी हो तो वह पुलिस नियन्त्रण कक्ष जोधपुर के फोन नं. 0291–2650777, 100 पर तुरन्त सूचना दे सकते हैं।

यातयात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा आमजन/अभिभावक अपील है कि अपने नाबालिग किशोरों को वाहन चलाने हेतु नही दिया जाना चाहिए एवं शिक्षक अपने शैक्षाणिक संस्थानों में अध्यनरत किशोरों वाहन नही चलानें के संबध में जागरुक/समझाईश करावे। यदि किशोरों को उनके माता– पिता एवं वाहन स्वामी द्वारा वाहन चलाने के लिए दिया जाता है तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

सदैव आपकी सेवामें – यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर

यातायात नियमों एवं कानून का पालन करें –अनावश्यक परेशानी से बचे।

(दुर्गाराम चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
यातायात, जोधपुर